उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यटन अनुभाग
संख्या-**416**/2024/979(1)/41-1-2024-001-CN-1799007-2024
लखनऊ:: दिनांक 22 मार्च, 2024

शुद्धि-पत्र

निदेशक, पर्यटन, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 05-03-2024 के क्रम में **जनपद-महाराजगंज के सोहागीबरवां वन्य जीव एवं पक्षी विहार के सन्निकट पर्यटन भूमि का ईको पर्यटन विकास** हेतु धनराशि **रू0 491.62 लाख** (जी0 एस0 टी सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में धनराशि **रू0 370.00 लाख (रूपये तीन करोड़ सत्तर लाख मात्र)** पर्यटन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-341/2024/979/41-1-2024-001-CN-1799007-2024, दिनांक 14-03-2024 द्वारा निर्गत किया गया है।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 14-03-2024 के प्रस्तर-2 (1) में **''म्यूरल आर्ट वर्क का कार्य उ0प्र0 ललित कला अकादमी से कराया जाना है। इस हेतु आंकलित धनराशि रू0 06.89 लाख (रू0 तीन लाख छियालीस हजार मात्र) सीधे उ0प्र0 ललितकला अकादमी के खाते में हस्तान्तरित की जायेगी''** के स्थान पर **''म्यूरल आर्ट वर्क का कार्य उ0प्र0 ललित कला अकादमी से कराया जाना है। इस हेतु आंकलित धनराशि रू0 06.89 लाख (रू0 छः लाख नवासी हजार मात्र) सीधे उ0प्र0 ललितकला अकादमी के खाते में हस्तान्तरित की जायेगी''** एतद्द्वारा अंकित किया जाता है।

3- तदनुसार सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक 14.03.2024 उक्त सीमा तक संशोधित समझा/पढ़ा जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. जिलाधिकारी, महाराजगंज।
6. विशेष सचिव, संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ
8. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9. निदेशक, ललित कला अकादमी, लखनऊ।
10. निदेशक, पर्यटन, उ0प्र0, लखनऊ (रा0यो0), पर्यटन निदेशालय, लखनऊ
11. क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, गोरखपुर/आजमगढ़ मण्डल, गोरखपुर।
12. संस्कृति अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
13. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
14. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।